समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

****

दूरभाष संख्या 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 14.01.2017 को मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत् मानव श्रृंखला निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

मद्य निषेध अभियान के द्वितीय चरण के तहत दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेशानुसार मानव श्रृंखला से संबंधित प्राप्त करने वाले सभी प्रकार के प्रतिवेदन की सूची तैयार कर ली जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अवगत करायें ।

2. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0 1 एवं 2, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी 1 एवं 2 तथा पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अनुमंडलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित **मुख्य मार्ग** एवं **पूरक मार्ग** पर सेक्टरवार/मीटर/किलोमीटरवार दूरी का अंकन (Marming) करा दिया जाए । इस हेतु अधीनस्थ तकनीकी पदाधिकारियों का टीम बनाकर युद्धस्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए । विभागीय निदेशानुसार सभी प्रतिभागी सड़क के बायीं ओर कतारबद्ध हाथ में हाथ पकड़े रहेंगे । साथ ही सभी सड़कें पश्चिम से पूरब रूख मे मानी जाएगी । अंकन (Marming) के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

3. **नवोम्मेष कोषांग (Innovatation Cell)** – उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि गायघाट के पटियासा, सकरा के एल0पी0 शाही कॉलेज एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुर्की के पास नवोम्मेष (Innovatation) का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । नवोम्मेष कोषांग (Innovatation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसकी सारी तैयारियां करा ली जाए एवं संबंधितों को जवाबदेही निधारित कर दिया जाए ।

3.1 नवोम्मेष कोषांग (Innovatation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिलास्तर/प्रखण्डस्तर/पंचायतस्तर पर जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको भी नवोम्मेष (Innovatation) के रूप में उक्त कार्यक्रमों की फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप एवं प्रतिवेदन संधारित करायें ।

3.2 नवोम्मेष कोषांग (Innovatation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी मोबाइल उपभोक्तओं को मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु Call Alert के रूप में सामूह में मैसेज करायें ।

3.3 निदेश दिया गया कि जिलास्तर/प्रखण्डस्तर पर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित होने वाले कार्यक्रमों/गतिविधियों की रूपरेखा बनाकर उसकी तैयारी कराना सुनिश्चित करें । उक्त कार्यक्रम का तिथि, समय, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिभागियों को चिन्हित कराते हुए कार्यान्वयन कराया जाए । अपर समाहर्ता इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं प्रगति से अवगत करायेंगे ।

3.4 निदेश दिया गया कि जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार, सी0डी0 का गायन आदि नियमित रूप से हो इसे सुनिश्चित कराया जाए ।

3.5 निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले विद्यालयों के बच्चों, जीविका दीदियों, आशा/ममता कार्यकर्ताओं, एन0सी0सी0/सकॉउट, नेहरू युवा केन्द्र आदि के प्रतिभागी अपने–अपने निर्धारित वर्दी (Uniform) में रहेंगे इस हेतु सभी संबंधितों को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी जाए ।

3.6 मानव श्रृंखला के दिन सभी प्रखण्डों में निर्धारित मार्ग पर कलाकारों का टीम बनाकर जगह–जगह गीत गायन एवं वादन का कार्यक्रम कराया जा सकता है । इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए ।

3.7 निदेश दिया गया कि जो भी नवोम्मेष (Innovatation) से संबंधित कार्यक्रम करना है उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपस्थापित किया जाए ।

3.8 जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार वीडियो कैमरे का आकलन करते हुए शीघ्र उसकी व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें । निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला की पूर्व तेयारी एवं मानव श्रृंखला निर्माण के दिन सम्पूर्ण कार्यक्रम का विडियेग्राफी कराया जाए तथा उसकी प्रति कोषांग में संधारित रखा जाए ।

3.9 निदेश दिया गया कि जिले के बैंकर्स तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में योगदान/भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

4. **दस्तावेजीकरण कोषांग (Documentation Cell)** – दस्तावेजीकरण कोषांग (Documentation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों से संबधित फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप, राइअप एवं प्रतिवेदन सभी प्रखण्डों से प्राप्त करते हुए कोषांग में संधारित कराना सुनिश्चित करें ।

4.1 निदेश दिया गया कि राज्यस्तर से आने वाले टीम के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करा ली जाए ।

4.2 निदेश दिया गया जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर पर होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की विडियोग्राफी कराते हुए उसंकी सी0डी0 तैयार कर संधारित कराया जाए ।

5. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को फल ड्रेस में मानव श्रृखला निर्माण हेतु तैयार करा लिया जाए । साथ ही आशा,

ममता, एन0एन0एम0 भी अपने–अपने निर्धारित वर्दी (Uniform) में रहेंगे इसकी तैयारी कर लिया जाए ।

6. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यसायियों, भेण्डरर्स, स्वंय सहायता समूहों को मानव श्रृंखला में शामिल कराने की पूर्व तैयारी कर ली जाए । यह भी निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र के किस--किस मार्ग पर मानव श्रृंखला का निर्माण करना है उसका कार्यक्रम अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी से समन्वय स्थापित कर बना लिया जाए एवं दिनांक 15.01.2016 तक अवगत कराया जाए ।

7. **कार्मिक कोषांग** के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सभी विभाग/कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मी अपने–अपने परिवार के सदस्यों के साथ मानव श्रृंखला में भाग लेंगे इसकी तैयार करा लिया जाए तथा सभी संबंधितों को विधिवत सूचना उपलब्ध करा दी जाए ।

8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी मदरसों में अध्ययनरत छात्रों का किसी एक सेक्शन में मानव श्रृंखला बनाया जाए । इसकी सम्पूर्ण तैयारी करा लिया जाए ।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2017 को सभी विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के रूप में सुखा नास्ता का प्रबंध कराया जाए । इस हेतु सभी विद्यालय प्रधान को आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए ।

10. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेशानुसार सभी प्रतिभागी सड़क के बायीं ओर कतारबद्ध हाथ में हाथ पकड़े रहेंगे । साथ ही सभी सड़कें पश्चिम से पूरब रूख मे मानी जाएगी । यह भी निदेश दिया गया कि निर्धारित **मुख्य मार्ग** एवं **पूरक मार्ग** पर अंकन (Marming) के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

11. वाणिज्य कर उपायुक्त, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि शहरी क्षेत्र में मानव श्रृंखला निर्माण हेतु अपने–अपने स्तर से मानव संसाधन की व्यवस्था करायी जाए । वाणिज्य कर उपायुक्त, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक रणनीति बना ली जाए । शहरी क्षेत्र के सभी व्यवसायी वर्ग एवं दुकानदार दिनांक 21.01.2017 को निर्धारित पूरक मार्ग पर अपने–अपने परिवार के साथ निकलर मानव श्रृंखला का निर्माण कर लें इसे सुनिश्चित कराया जाए ।

12. सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि दिनांक 21.01.2017 को 12.00 बजे मध्याह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है इस हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करा ली जाए ।

13. उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि सम्पूर्ण जिले में प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार वाहनों का नियिमित रूप से भ्रमण कराना सुनिश्चित किया जाए । साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश

दिया गया कि प्रखण्डवार कितने प्रचार की गाडियां प्रतिदिन चल रही है इसका प्रतिवेदन दैनिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

14. सहायक स्टेशन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया कि दिनांक 21.01.2017 को रेलवे के सभी कर्मियों/पदाधिकारियों को अपने परिवार के साथ मानव श्रृंखला में शामिल होने हेतु निदेशित किया जाए । वे सभी अपने निकटस्थ निर्धारित मार्ग पर कतारबद्ध होंगे । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उक्त तिथि को रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रिओं को भी स्टेशन रोड के मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाने हेतु अपने स्तर से सूचित किया जाए । इसके अलावा यह भी निदेश दिया गया कि स्थलवार मानव संसाधन की गणना करते हुए उसकी सूची अविलंब उपलब्ध करा दी जाए ।

15. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में सभी एजेंसियों को मानव श्रृंखला में भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र भेज दिया जाए । साथ ही सभी निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं कुलपति, बाबा साहेब भीम राव अम्बेदक बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को भी इस हेतु अनुरोध पत्र भेज दिया जाए ।

16. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रचार सामग्रियों यथा सी0डी0 के वादन का सभी जगह समय निर्धारित कर दिया जाए एवं उसे नियिमत रूप से बजवाना सुनिश्चित किया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी महत्वपूर्ण स्थाना, चौक–चौराहों एवं सुगोचर स्थलों पर बैनर, पोस्टर एवं होर्डिग्स अधिष्ठापित करा दिया जाए ।

17. समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि प्रखण्डों को उपलब्ध कराये गये बैनर, पोस्टर एवं पम्फलेट पर्याप्त नहीं है । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि आवश्यकताओं का आकलन करते हुए मुद्रित कराते हुए सभी प्रखण्डों को आवश्यक संख्या में बैनर, पोस्टर एवं पम्फलेट शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यह भी निदेश दिया गया कि बैनर, पोस्टर एवं पम्फलेट में मानव श्रृंखला निर्माण की तिथि एवं समय निश्चित रूप से मुद्रित करा दिया जाए ।

18. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदरधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डों को उपलब्ध कराये गये अपील का वितरण घर–घर हो जाये इसे सुनिश्चित कराया जाए ।

19. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि आमंत्रण पत्र मुद्रित कराते हुए सभी प्रखण्डों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए । सभी प्रखण्डों केक वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायतस्तरीय कर्मियों के माध्यम से सभी गणमान्य एवं प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को निदेश दिया गया कि वे भी अपने स्तर से आमंत्रण पत्र का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

20. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर से समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 21.01.2017 को मानव श्रृंखला में शामिल हाने वाले सभी प्रतिभागियों का निर्धारित स्थल पर ही हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करेंगे । इस हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों का आवश्यक संख्या में मुद्रण कराते हुए सभी प्रखण्डों को उपलब्ध करा दी जाए ।

21. वाहन कोषांग के वरीय/प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वाहनों की आवश्यकता का आकलन करते हुए उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों/जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को इस आशय के साथ पत्र दे दिया जाए कि मानव श्रृंखला के दिन अपने–अपने वाहन के साथ उपस्थित होंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके वाहन का उपयोग किया जा सके ।

22. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में वाहन कोषांग एवं कार्मिक कोषांग को कार्यशील बना दिया जाए ।

23. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निमार्ण हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग के साथ सम्बद्ध सेक्टर के कर्मियों को यह निदेश दिया जाए कि वे अपने साथ पानी का बोतल निश्चित रूप से रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए ।

24. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि औराई, कटरा, बंदरा एवं मुरौल से अंतिम रूप से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा शेष प्रखण्डों से अप्राप्त है । सभी संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 15.01.2017 के पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से सभी प्रकार के कार्ययोजना से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग को भेजा जा सके । विलंब की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए कार्रवाई की जाएगी ।

25. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में गहन रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए । साथ ही जिला द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए । साथ ही इसका अपने स्तर से नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए तथा अवगत कराया जाए ।

26. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र मे भेजें एवं स्वंय भी क्षेत्र में जाकर सभी प्रकार के गतिविधियों/कार्याक्रमों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करायें ।

29. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि निर्जन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उक्त स्थलों पर मानव संसाधन को पहुंचाने हेतु वाहनो की व्यवस्था करा ली जाए ।

30. सभी प्रखण्डरों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों निदेश दिया गया कि प्रखण्ड/पंयायतस्तर पर दैनिक रूप से किये जाने वाले कार्यक्रमों/गतिविधियों का फोटोग्राफ्स, सी0डी0 एवं राइटप प्रतिदिन जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के मेल आई0डी0 पर भिजवाना सुनिश्चित किया जाए ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 311 /गो., दिनांक 13/01/12

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/वाणिज्यकर उपायुक्त, पूर्वी/पश्चिमी/जिला अवर निबंधक/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/निदेशक, एन.ई.पी. /निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, आर.टी. पी.एस./समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों/सहायक स्टेशन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी–1 एवं 2/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,–1/2, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/01/12

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।